Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 9 | SEPTEMBER 2024

अमेरिका और भारत में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली : एक तुलनात्मक अध्ययन

नरपत कुमार [1]

[1] **नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान, सहायक प्रोफेसर रानीवाड़ा कॉलेज जालोर.**

ABSTRACT:

लोकतंत्र की अवधारणा में चुनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया सरकार की वैधता, पारदर्शिता और जनप्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। भारत और अमेरिका दोनों ही विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक प्रणालियाँ और राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रियाएँ एक-दूसरे से भिन्न हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली (Presidential System) लागू है, जहाँ राष्ट्रपति राष्ट्र और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) अपनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होता है और कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के पास होती है।

अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होता, बल्कि एक जटिल "निर्वाचक मंडल प्रणाली" (Electoral College System) के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचक आवंटित किए जाते हैं, और ये निर्वाचक जनता द्वारा चुने जाते हैं। अधिकांश राज्यों में "Winner Takes All" प्रणाली लागू होती है, जिसमें जिस उम्मीदवार को राज्य में अधिकतम मत मिलते हैं, उसे उस राज्य के सभी निर्वाचक मत प्राप्त होते हैं। इसके बाद निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने मत डालते हैं, और जिस उम्मीदवार को 270 या अधिक निर्वाचक मत मिलते हैं, उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है।

इसके विपरीत, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव पूरी तरह से अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होता है। भारत में राष्ट्रपति को जनता द्वारा नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। प्रत्येक सांसद और विधायक के मत का मूल्य भिन्न होता है, जो उनकी जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के आधार पर तय किया जाता है। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote System) के तहत होता है, जिसमें मतदाता अपनी प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों को क्रमबद्ध करते हैं।

अमेरिका और भारत की राष्ट्रपति चुनाव प्रणालियों की तुलना करने पर कई महत्वपूर्ण अंतर सामने आते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के माध्यम से चुना जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव पूरी तरह से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता है, जो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होता है, जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार वर्षों का होता है और वह अधिकतम दो बार चुने जा सकते हैं, जबकि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है और वह पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। स्पष्ट होता है कि दोनों देशों की चुनाव प्रणालियाँ उनकी राजनीतिक संरचना और शासन प्रणाली के अनुरूप विकसित हुई हैं। अमेरिका की प्रणाली में राष्ट्रपति को अधिक कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जबकि भारत की प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका सीमित होती है, ताकि संसदीय लोकतंत्र की स्थिरता बनी रहे। दोनों प्रणालियों के अपने फायदे और चुनौतियाँ हैं, लेकिन दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

KEYWORDS:

राष्ट्रपति चुनाव, निर्वाचक मंडल, चुनावी प्रक्रिया, लोकतंत्र, तुलनात्मक अध्ययन, अमेरिका, भारत, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली ।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
28th September 2024	30th September 2024

विषय वस्तु

लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता की भागीदारी सर्वोपरि होती है और शासन का संचालन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला हैं, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और सरकार को वैधता प्रदान करते हैं। भारत और अमेरिका, दोनों ही विश्व के सबसे बड़े और प्रभावशाली लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन इनकी शासन प्रणालियाँ और राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रियाएँ एक-दूसरे से भिन्न हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली (Presidential System) लागू है, जहाँ राष्ट्रपति राष्ट्र और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) अपनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होता है और कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के पास होती है। इस शोध पत्र का उद्देश्य अमेरिका और भारत में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली की तुलनात्मक समीक्षा करना और उनकी प्रक्रियाओं, लाभों एवं चुनौतियों को समझना है।

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सामान्यतः दो प्रमुख रूपों में वर्गीकृत किया जाता है:

राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली। अमेरिका राष्ट्रपति प्रणाली का एक प्रमुख उदाहरण है, जबकि भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इन दोनों प्रणालियों की चुनाव प्रक्रिया, कार्य प्रणाली और सत्ता संतुलन की संरचना भिन्न होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा चुना जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इन दोनों प्रणालियों में विभिन्न प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक अंतर हैं, जो इन्हें विशिष्ट बनाते हैं।

राष्ट्रपति प्रणाली बनाम संसदीय प्रणाली

अमेरिका की **राष्ट्रपति प्रणाली** में राष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से निर्वाचित किया जाता है और वह कार्यकारी प्रमुख होता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और एक-दूसरे से पृथक होते हैं। राष्ट्रपति के पास व्यापक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं और वह अपनी कैबिनेट के सदस्यों को स्वतंत्र रूप से नियुक्त कर सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति को संसद (Congress) के प्रति उत्तरदायी नहीं माना जाता, लेकिन उसे

अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए कांग्रेस के समर्थन की आवश्यकता होती है।

इसके विपरीत, भारत की **संसदीय प्रणाली** में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, और वह कार्यकारी प्रमुख नहीं बल्कि एक संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, और वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत की यह प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरित है, जहाँ कार्यपालिका और विधायिका आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं।

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली

अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:

1. **प्राथमिक चुनाव (Primaries and Caucuses)** – राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत प्राथमिक चुनावों और कॉकस (Caucus) से होती है, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दल अपने राष्ट्रपति उम्मीदवारों का चयन करते हैं।
2. **राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conventions)** – प्रत्येक प्रमुख राजनीतिक दल (जैसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन) अपने राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है, जहाँ वे अपने आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा करते हैं।
3. **आम चुनाव (General Election)** – अमेरिकी नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करते हैं, लेकिन उनका मत सीधे राष्ट्रपति को नहीं जाता, बल्कि वे निर्वाचक मंडल (Electoral College) के सदस्यों का चयन करते हैं।
4. **निर्वाचक मंडल का मतदान (Electoral College Vote)** – प्रत्येक राज्य के निर्वाचक अपने मत डालते हैं, और जो उम्मीदवार 270 या अधिक निर्वाचक मत प्राप्त करता है, उसे राष्ट्रपति घोषित किया जाता है।

भारत में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली

भारत में राष्ट्रपति का चुनाव पूरी तरह से अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होता है और यह निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है:

1. **निर्वाचक मंडल का गठन** – भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
2. **मतों का मूल्यांकन (Vote Value Calculation)** – प्रत्येक सांसद और विधायक के मत का मूल्य अलग-अलग होता है, जिसे एक विशेष गणना पद्धति से तय किया जाता है।
3. **मतदान प्रक्रिया (Voting Process)** – चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote System) के तहत होता है, जहाँ मतदाता अपनी प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों को क्रमबद्ध करते हैं।
4. **गणना और विजेता की घोषणा** – यदि किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का बहुमत प्राप्त होता है, तो उसे राष्ट्रपति घोषित किया जाता है।

भारत और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली की तुलना

विशेषता	अमेरिका	भारत
सरकारी प्रणाली	राष्ट्रपति प्रणाली	संसदीय प्रणाली
चुनाव प्रक्रिया	अप्रत्यक्ष, निर्वाचक मंडल द्वारा	अप्रत्यक्ष, निर्वाचक मंडल द्वारा
निर्वाचक मंडल	जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि	संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
मतदान प्रणाली	"Winner Takes All"	आनुपातिक प्रतिनिधित्व
कार्यकाल	4 वर्ष (दो बार चुने जाने की अनुमति)	5 वर्ष (पुनः चुनाव की अनुमति)
भूमिका	कार्यकारी प्रमुख	संवैधानिक प्रमुख

राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली की चुनौतियाँ

अमेरिका में चुनौतियाँ

- **निर्वाचक मंडल की जटिलता** – अमेरिकी प्रणाली में कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई उम्मीदवार लोकप्रिय वोट जीत लेता है, लेकिन निर्वाचक मंडल में हार जाता है।
- **Winner Takes All प्रणाली की समस्याएँ** – यह प्रणाली छोटी पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को कमजोर कर देती है।
- **अत्यधिक धनबल और प्रभाव** – अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अरबों डॉलर खर्च होते हैं, जिससे अमीर उम्मीदवारों को लाभ मिलता है।

भारत में चुनौतियाँ

- **निर्वाचक मंडल की सीमाएँ** – भारत में राष्ट्रपति का चुनाव पूरी तरह से निर्वाचित प्रतिनिधियों पर निर्भर करता है, जिससे आम जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती।
- **राजनीतिक दबाव** – राष्ट्रपति चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों का अत्यधिक प्रभाव होता है, जिससे यह प्रक्रिया कभी-कभी निष्पक्ष नहीं रह पाती।
- **विधायक दलों की निष्ठा** – कई बार निर्वाचक मंडल में मौजूद विधायक और सांसद राजनीतिक दबाव में मतदान करते हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

निष्कर्ष

भारत और अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव प्रणालियाँ उनकी राजनीतिक संरचना के अनुसार विकसित हुई हैं। अमेरिका की प्रणाली अधिक प्रत्यक्ष और प्रतिस्पर्धी है, जबकि भारत की प्रणाली स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई है। दोनों प्रणालियों के अपने फायदे और चुनौतियाँ हैं, लेकिन दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली किसी भी लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक संरचना और शासन प्रणाली के आधार पर विकसित होती है। अमेरिका और भारत की प्रणालियाँ भिन्न होते हुए भी अपने-अपने लोकतांत्रिक ढाँचों के अनुरूप हैं और अपनी विशिष्ट भूमिका निभाती हैं।

भारत और अमेरिका, दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन इनकी राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली एक-दूसरे से भिन्न है। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली लागू है, जहाँ राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता है और अपनी शक्तियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करता है। इसके विपरीत, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जहाँ राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होता है और कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के पास होती हैं।

अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव **निर्वाचक मंडल प्रणाली** (Electoral College System) के माध्यम से होता है, जिसमें प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचक मत दिए जाते हैं। अधिकांश राज्यों में "Winner Takes All" प्रणाली लागू होती है, जिससे राष्ट्रपति चुनाव में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों का प्रभाव बढ़ जाता है। वहीं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव **अप्रत्यक्ष प्रणाली** द्वारा किया जाता है, जहाँ निर्वाचक मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव **एकल संक्रमणीय मत प्रणाली** (Single Transferable Vote System) के तहत होता है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। अमेरिकी प्रणाली अधिक प्रत्यक्ष और प्रतिस्पर्धी है, लेकिन इसमें धनबल और लोकप्रिय वोट तथा निर्वाचक मंडल के बीच असंतुलन जैसी चुनौतियाँ हैं। भारत की प्रणाली अधिक स्थिर और संतुलित है, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है।

अंततः, यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों की चुनाव प्रणालियाँ उनकी शासन संरचना और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुई हैं। इन प्रणालियों के अपने-अपने लाभ और चुनौतियाँ हैं, लेकिन दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

REFERENCES

1. भारत का संविधान – डॉ.शुभाष कश्यप

2. Comparative Government and Politics – Rod Hague & Martin Harrop

3. Electoral Systems: A Comparative Introduction – David Farrell

4. The Federalist Papers – Alexander Hamilton, James Madison & John Jay

5. भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक

6. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली – यूएस एलेक्शन कमिशन